कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551
election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552

संख्या– 600/XXV–12(11)/2018 देहरादून : दिनांक 18 जनवरी, 2022

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातरंण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

समस्त लोक सूचना अधिकारी
समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र का हस्तान्तरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रधान सचिव एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, भारत निवर्चन आयोग, सचिवालय के पत्र संख्या–4/भा0नि0आ0/25/उ0खण्ड/उ0अनु0–2/2021/77 दिनांक 11.01.2021 के साथ संलग्न अनुरोधकर्ता श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भिक्कन सिंह, निवास खसरा नं0–534, डा0 अम्बेडकर बस्ती ग्राम व पोस्ट अबुपुर, जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश–221206 का अनुरोध पत्र दिनांक 02–12–2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 19.01.2022 को प्राप्त हुआ है की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अनुरोध पत्र में चाही गयी बिन्दु संख्या–1,3,4, व 5 से सम्बन्धित सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
BS Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

पृ0संख्या 600/XXV–12(11)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– 1–केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़ नई दिल्ली–110001 को सादर सूचनार्थ।

2–श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भिक्कन सिंह, निवास खसरा नं0–534, डा0 अम्बेडकर बस्ती ग्राम व पोस्ट अबुपुर, जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश–221206 को सूचनार्थ प्रेषित।

BS Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

15/01/22

By Speed Post

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001.
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

सं0: 4 / भा0नि0आ0 / 25 / उ0खण्ड / उ0अनु0–2 / 2021 /77 **दिनांक: 11–01–2022**

सेवा में

जन सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः–सूचना के अधिकार अधिनियम– 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन को अंतरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर श्री राकेश कुमार पुत्र भिक्कन सिंह, निवास खसरा नं0 534, डा0 अम्बेडकर बस्ती ग्राम व पोस्ट अबुपुर जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –221206 से प्राप्त दिनांक 02–12–2021 के आवेदन पत्र जो आयोग में दिनांक 23–12–2021 को प्राप्त हुआ, का अवलोकन करें (प्रति संलग्न)।

2. उक्त पत्र में आवेदक ने मतदाता सूची से सबंधित जानकारी मॉगी है, जो आपके कार्यालय से सबंधित है, अतः एतद् द्वारा उपरोक्त आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत आपके कार्यालय को इस अनुरोध के साथ अन्तरित किया जाता है कि आवेदक द्वारा कम सं. 1,3,4, व 5 पर मॉगी गई वांछित सूचना सीधे आवेदक को उपलब्ध करा दी जाए, एवं तत्संबधी जानकारी आयोग को भी प्रेषित कर दी जाए।

3. आवेदक ने पहले से ही सूचना के अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 के तहत निर्धारित आवेदन शुल्क रूपये 10/– पोस्टल आर्डर द्वारा आयोग को प्रेषित किये है जो आयोग के रोकड अनुभाग में जमा कर दिया जा चुका है।

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
प्रधान सचिव एवं
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
दूरभाषः 011–23052090
email: rahulsharma.eci@gmail.com

प्रतिलिपिः– श्री राकेश कुमार पुत्र भिक्कन सिंह, निवास खसरा नं0 534, डा0 अम्बेडकर बस्ती ग्राम व पोस्ट अबुपुर जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –221206.

समयबद्ध / महत्वपूर्ण / जनहित

दिनाँक– 02–12–2021

भारत निर्वाचन आयोग / Election Commission of India
प्राप्ति एवं निर्गम अनुभाग
R & I Section
23 DEC 2021
कम्प्यूटर क्रमांक सं.
COMPUTER Dy. No.
नई दिल्ली /New Delhi

सेवा में,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

विषयः– **जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत उत्तराखण्ड राज्य के बारे में विधान सभा चुनाव 2022 में शुद्व मतदाता सूचि तैयार कराने के मामले में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों में निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये।**

महोदय,

1. उत्तराखण्ड में विधान सभा के आम चुनाव में वोटर डिलीशन (दिवंगत / मृतक मतदाता, अस्थाई रूप से रहने वाले स्थान परिवर्तित करने वाले और एक से अधिक स्थान पर वोटर लिस्ट में शामिल मतदाता) के नाम वोटर लिस्ट से अपमार्जित**(Removal of all DSEs/Multipal Entries, logical error etc.)** अभियान 9 अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर 2021 के दौरान जिन सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी **A.E.R.O** रजिस्ट्रीकरण अधिकारी **E.R.O** और जिलाधिकारियों के इस अवधि में उत्तराखण्ड सरकार ने स्थानांत्रण किये है उनकी सूची उपलब्ध कराई जाये।
2. भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2022 के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पंजाब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिलाधिकारियों को जो निर्देश / आदेश दिए गये उन आदेशों और निर्देशों की छाया प्रतियां उपलब्ध कराई जाये।
3. भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में पुनरीक्षण पूर्व एंव विशेष संक्षिप्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड ने दिनाँक 3 अगस्त 2021 के अनुपालन में 09–09–2021 से 31–10–2021 के दौरान 9 अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक वोटर लिस्ट से अपमार्जित करने के लिए चिन्हित् हो चुके मतदाताओं की बूथवार / भागवार संख्या उपलब्ध कराई जाये। जिनमें मृतक मतदाताओं और अस्थाई रूप से निवास करने वाले स्थान परिवर्तन कर चुकें मतदाताओं की अलग–अलग भागवार संख्या उपलब्ध कराई जाये।
4. भारत निर्वाचन आयोग के 13 अगस्त 2021 के आदेश के अनुपालन में**(Removal of all DSEs/Multipal Entries, logical error etc.)** अभियान 9 अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक जिन मतदाताओं को मतदाता सूचि से नाम प्रथक किए जाने के लिए चिन्हित् कर लिया गया है। उनमें से कितने मतदाताओं को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचना हेतु नोटिस भेज दिया गया है और कितने मतदाताओं को नोटिस भेजा जाना शेष है, जनपदवार बताया जाये।
5. वर्तमान में प्रभावी मतदाता सूचि में कितने मतदाताओं का वोटर लिस्ट में एक से अधिक स्थानों पर वोट बना हुआ है। उनकी जनपदवार संख्या उपलब्ध कराई जाये।
6. भारतीय संविधान ने आर्टिकल 324 के तहत वोटर लिस्ट बनाने, स्वतंत्र, निषपक्ष एंव पारदर्शी चुनाव कराने की ड्यूटी भारत निर्वाचन आयोग को सौंप रखी है। यदि किसी मतदाता का मतदाता सूचि में से आयोग द्वारा तय किये गए मानकों के विरूद्व गलत तरीके से नाम पृथक कर उनके संवैधानिक मतदान करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो उसके लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी **A.E.R.O** निर्वाचख्क रजिस्ट्रीकरण अधिकारी **E.R.O**, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एंव मुख्य निर्वाचन आयुक्त तक कौन–कौन लोक सेवक उत्तरदायी होंगे। उनके विरूद्व आई0पी0सी की किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा सकता है, और मतदाता अपने मत के संवैधानिक अधिकार से वंचित होने के मामलें में कितनी धनराशि क्षतिपूर्ती के रूप में मांगने के लिए सिविल कोर्ट में सिविल वाद दायर कर सकता है।
7. उत्तराखण्ड राज्य में भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निषपक्ष एंव पारदर्शी चुनाव कराने के लिए निषपक्ष, पारदर्शी एंव शुद्व मतदाता सूचि बनाने के लिए जिन **A.E.R.O, E.R.O,** जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आयोग के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन कर शुद्व मतदाता सूचि बनाने के लिए अपने पदीय दायित्वों का उल्लंघन कर शुद्व मतदाता सूचि बनाने में लापरवाही बरती हैं उन लोक सेवकों के विरूद्व अब तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराया जाये।

शुल्क के रूप में रूपये 10 का पोस्टल आर्डर संख्या **51F 950439** संलग्न है। प्रार्थी को सूचना सी.डी. / पैन ड्राईव पर उपलब्ध कराई जाये। जिसका भुगतान करने के लिए प्रार्थी तैयार है। सूचना व्यापक जनहित में मांगी गई है। इसलिए अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आवेदक

राकेश कुमार
पुत्र श्री भिक्कन सिंह
खसरा नं0 534, डा0 अम्बेडकर बस्ती ग्राम व पोस्ट अबुपुर
जनपद गाजियाबाद , उ0प्र0 221206
मोबाईल नम्बर–9997411085